



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 382 ]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 13, 2000/आषाढ़ 22, 1922

No. 382]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 13, 2000/ASADHA 22, 1922

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2000

सा. का. नि. 606(अ)।—चाय बोर्ड (हानि अपलिखित करना) नियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप जो चाय अधिनियम 1953(1953 का 29) की धारा 49 की उपधारा(i) द्वारा यथा अपेक्षित, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड(i) में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 703(अ), तारीख 15 अक्टूबर, 1999 द्वारा, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित हुई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, पेंतालीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था;

और उक्त राजपत्र 18 अक्टूबर, 1999 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार को जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा (2) के खंड (ज क) के साथ पठित उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चाय बोर्ड (हानि अपलिखित करना) नियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चाय बोर्ड (हानि अपलिखित करना) संशोधन नियम, 2000 है।
- (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. चाय बोर्ड (हानि अपलिखित करना) नियम, 1996 में,— (i) नियम 5 में,—

(i) उपनियम (1) में, 'भूल, अपेक्षा, कपट, चोरी और बोर्ड की सम्पत्ति और धन के प्रति असावधानी से' शब्दों के स्थान पर, 'बोर्ड की सम्पत्ति और धन के प्रति भूल, उपेक्षा, कपट, उनकी चोरी, उनके प्रति असावधानी और उनके दुर्विनियोग से' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप नियम (3) में,—

(क) 'उपरोक्त उपनियम (1) और (2)' से आरम्भ होने वाले और 'उपबंधों का पालन करेगा' पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

'उपनियम (1) और (2) में यथा विहित कार्रवाई करने के अतिरिक्त ऊपर उल्लिखित प्राधिकारी, तात्त्विक क्षति, जिसमें आग, चोरी या किसी समान घटना के परिणाम स्वरूप बोर्ड की सम्पत्ति का दिनाश भी सम्मिलित है, और ऐसी हानियों के, जिनका निर्धारित मूल्य 10,000 रुपए या अधिक है, मामलों में नीचे उपदर्शित उपबंधों का अनुपालन करेंगे :

(ख) खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

(1) यदि किसी कार्यालय या स्थापन में किसी संदिग्ध चोरी, कपट, आग लगने या किसी समान घटना के कारण तात्त्विक प्रकृति की ऐसी हानि होती है, जिसका निर्धारित मूल्य 10,000 रुपए या अधिक है, तब ऐसे मामलों को सदैव पहले उपलब्ध अवसर पर अन्वेषण के लिए पुलिस को रिपोर्ट किया जाना चाहिए ।

(2) नियम 6 में उपनियम(1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

'(1) नियम 5 के उपनियम (2) के अनुसार जब उक्त उप नियम(2) में वर्णित प्राधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की जाती है तब हानि के लिए जिम्मेदार पदधारी के विरुद्ध जिम्मेदारी नियत करते हुए अंतिम रूप से समाप्त की जाएगी और उसके पश्चात् उस मामले में अंतिम विनिश्चय के लिए अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा :

परन्तु यह कि एक मुश्तवसूली या किस्तों में वसूली किए जाने का विनिश्चय, अध्यक्ष का अनन्य विवेकाधिकार होगा;

परन्तु यह और कि हानि की वसूली करने का आदेश जारी करने से पहले अपचारी पदधारी को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा ।'

[का. सं. टी-54012/4/98-प्लांट(ए)]

रति विनय झा, अपर सचिव

पादटिप्पणी: मुख्य नियम वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 14 अगस्त, 1996 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 364(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे ।

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2000

**G. S. R. 606(E).**—Whereas a draft of certain rules further to amend the Tea Board (Write Off Losses) Rules, 1996 was published as required by sub-section (1) of section 49 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification of the Government of India, in the Ministry of Commerce bearing number G.S.R. 703(E), dated the 15<sup>th</sup> October, 1999, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of forty-five days from the date on which copies of the Official Gazette in which the said notification was published were made available to the public;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 18th October, 1999;

And whereas no objections or suggestions were received from the public by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (ja) of sub-section (2) of section 49, of the Tea Act, 1953, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Tea Board (Write Off Losses) Rules, 1996, namely:-

1. (1) These rules may be called the Tea Board (Write Off Losses) Amendment Rules, 2000.  
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Tea Board (Write Off Losses) Rules, 1996,-  
 (1) in rule 5,-  
   (i) in sub-rule (1), for the words "theft and carelessness", the words theft, carelessness and misappropriation" shall be substituted;  
   (ii) in sub – rule (3),-  
     (a) for the portion beginning with the words "In addition to taking action" and ending with the words "as a result of fire, theft, etc.", the following shall be substituted, namely-

"In addition to taking action as prescribed in sub-rules (1) and (2), the authorities mentioned above shall follow the provision indicated below in cases involving loss of substantial nature including destruction of Board's property as a result of fire, theft or the like and such loss having an assessed value of Rs.10,000/- or more";

(b) for clause (i), the following shall be substituted, namely:-

"(i) When loss of substantial nature having an assessed value of Rs.10,000/- or more due to suspected theft, fraud, fire or the like occur in any office or installation, such cases should invariably be reported to the Police for investigation on the first available opportunity";

(2) in rule 6, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The report as per sub-rule (2) of rule 5 when received by the authorities mentioned in the said sub-rule (2) shall be finally concluded by fixing responsibility against the official responsible for the loss and thereafter shall be submitted to the Chairman for a final decision in the matter:

Provided that a decision for recovery in lump sum or recovery by instalments shall be the exclusive discretion of the Chairman:

Provided further that prior to the issuance of an order of recovery of the losses, the delinquent official shall be given a reasonable opportunity of being heard."

[F No T-54012/4/98-Plant(A)]

RATHI VINAY JHA, Addl. Secy

**Foot Note :—** The principal rules were published in the Gazette of India vide Ministry of Commerce Notification No.G.S.R. 364 (E) dated the 14<sup>th</sup> August 1996.